5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

198

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

-1- नि० — 1383 — III/16

प्र.क्रं. / 2016 पुनरीक्षण

1. राकेश कुमार पुत्र हरदयाल रजक
2. मान सिंह पुत्र हरदयाल रजक
3. लक्ष्मण पुत्र हरदयाल रजक
4. सुनील पुत्र हरदयाल रजक

समस्त निवासीगण ग्राम तिंधारी तहसील पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दि. 2-5-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-5-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. दुर्गिया बेवा चतुरा रजक
   निवासी ग्राम तिंधारी तहसील पिछोर जिला शिवपुरी
2. शीला पुत्री चतुरा पत्नी हरीलाल रजक
   निवासी ग्राम ढला. तह. पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3. पिस्ता पुत्री चतुरा पत्नी हरदयाल रजक
   निवासी ग्राम तिंधारी तहसील पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)
4. सावो पुत्री चतुरा पत्नी ढमरू रजक
   निवासी ग्राम अलगीबास तह. व जिला दतिया (म.प्र.)
5. मीरा पुत्री चतुरा पत्नी कैलाश रजक
   निवासी ग्राम टीला तह. करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
2-5-16 एडवोकेट
ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1383–तीन/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2 –05–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 286/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.1.16 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक / अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने नायब तहसीलदार पिछोर तहसील पिछोर के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन दिया कि ग्राम तिंधारी में स्थित भूमि खाता कं. 63 सर्वे नं. 1868, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1940 लगायत 1945, 2034, 2035 2116, 2168, रकवा 5.34 हे. एवं खाता कं. 663 सर्वे नं. 1951, 2170, 2171 रकवा 1.10 हे. तथा सर्वे नं. 2030, 2048 रकवा 2.49 हे. भूमियों के हिस्सा 1/5 पर मृतक चतुरा पुत्र तुल्ला रजक की भूमि पर चतुरा द्वारा आवेदकगण के पक्ष में किये गये वसीयतनामा दिनांक 19.5.07 के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पेश किया। नायब तहसीलदार पिछोर तहसील पिछोर ने प्रकरण कमांक 20/2011–12/अ–6 पंजीबद्ध किया इश्तहार का प्रकाशन किया कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक ने वसीयत के साक्षियों के कथन कराये लेकिन नायब तहसलदार ने बिना किसी समुचित कारण के आवेदकगण का नामांतरण न कर मृतक चतुरा के वारिशान का नामांतरण करने का आदेश दिनांक 10.7.2012 पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 136/2011–12/अ.मा. पर पंजीबद्ध किया उनके समक्ष अपील लंबनकाल में दिनांक 8.1.14 को राजीनामा आवेदन पेश हुआ। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.3.14 द्वारा राजीनामा को आधार बनाते हुये यह आदेश दिया कि आवेदकगण व अनावेदकगण राजीनामा अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालय में विधिवत रजिस्टर्ड पंजीयन की कार्यवाही कर चतुरा के वारिशान अपना अपना हिस्सा प्राप्त करें। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपरु आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 286/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.1.16 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील का निराकरण किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। 4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1383–तीन/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादग्रस्त भूमियों के हिस्से 1/5 के अभिलिखित भूमिस्वामी चतुरा पुत्र तुल्ला रजक थे चतुरा के कोई पुत्र संतान नहीं थी उसकी चार पुत्रियां अनावेदक कं. 2 ता 5 है। आवेदकगण मृतक चतुरा की पुत्री अनावेदक कं. 3 पिस्ता के पुत्र है मृतक चतुरा के पास आवेदकगण रहते थे वही उनकी देखभाल व सेवा करते थे इसी कारण मृतक चतुरा ने अपने जीवनकाल में ही आवेदकगण के पक्ष में दो साक्षियों के समक्ष दिनांक 19.5.04 को रजिस्टर्ड वसीयत संपादित कर दी थी। भूमिस्वामी चतुरा की दिनांक 20.2.12 को मृत्यु हो जाने के उपरांत मृतक चतुरा द्वारा आवेदकगण के पक्ष में की गई बसीयत के आधार पर अपने नाम नामांतरण किये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया था। यह तर्क भी दिया कि मृतक चतुरा द्वारा आवेदकगण के पक्ष में की गई वसीयत को तहसील न्यायालय के समक्ष बसीयत के साक्षियों के कथन से वसीयत प्रमाणित कराई थी बसीयत रजिस्टर्ड थी मृतक चतुरा की अन्य वारिश पुत्रियां व पत्नी को कोई आपत्ति नहीं थी इसी कारण उनके द्वारा न तो अपने नाम नामांतरण किये जाने बावत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कोई आवेदन दिया था न ही आवेदकगण के नाम नामांतरण किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार ने आवेदकगण के नाम नामांतरण न कर समस्त वारिशान का नामांतरण किये जाने का आदेश देने में भूल की है। यह तर्क भी दिया कि मृतक चतुरा द्वारा आवेदकगण के पक्ष में बसीयत नहीं की होती तब उस स्थिति में ही वारिशाना का नामांतरण किया जा सकता था इस प्रकरण में आवेदकगण के पक्ष में वसीयत थी बसीयत पर वारिशान द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की थी न ही बसीयत को शंकापद बताया गया बल्कि बसीयत को साक्षियों के कथन से प्रमाणित कराया था। तहसील न्यायालय ने अपने आदेश में ऐसा कोई कारण भी नहीं दिया कि किस कारण आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण करने में कानूनी भूल की है। तहसील आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने बसीयत को गलत नहीं माना आवेदकगण की सभी बातों को मान्य तो किया है लेकिन प्रकरण की वस्तु स्थिति से हटकर वादग्रस्त भूमि का पंजीयन कराये जाने का आदेश देने में भूल की है इसी प्रकार अपर आयुक्त ग्वालियर ने भी अपनी ओर से निश्कर्ष दिये बिना अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुनरावृत्ति करते हुये आदेश पारित करने में भूल की है। इस प्रकार आवेदकगण ने निवेदन किया कि प्रस्तुत निगरानी स्वीकार	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1383–तीन/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त किये जाकर राजस्व अभिलेख में मृतक चतुरा के स्थान पर आवेदकगण का नाम नामांतरण किये जाने के आदेश दिये जावे। 6– अनावेदक 1, 3, 5 की ओर से विद्वान अधिक्क्ता द्वारा आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण किये जाने की सहमति दी। 7– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मृतक चतुरा वादग्रस्तभूमि के 1/5 हिस्से के अभिलिखित भूमिस्वामी थे भूमिस्वामी को बसीयत करने का पूर्ण अधिकार था बसीयत पर किसीभी पक्ष ने इस आश्य की आपत्ति भी नहं की कि उक्त बसीयत फर्जी, कूटरचित अथवा शंकास्पद है अर्थात जब बसीयत पर किसी भी पक्ष ने आपत्ति नहीं की एवं बसीयत को दो साक्षियों के कथन एंव अन्य साक्ष्य से प्रमाणित किया है तब उस स्थिति में बसयीत के आधार पर आवेदकगण के नाम नामांतरण न कर वारिशानों के नाम नामांतरण करने में त्रुटि की है वारिशानों के नाम नामांतरण उसी स्थिति में किया जा	

क्रम तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सकता था जब आवेदकगण के पक्ष में बसीयतनामा नहीं होता अर्थात भूमिस्वामी चतुरा निर्वसीयत मृत हुआ होता उक्त प्रकरण में आवेदकगण के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत है ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय ने बसीयत के आधार पर नामांतरण न कर वारिशान नामांतरण करने में भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर ने भी बसीयत के आधार पर नामांतरण न कर वस्तु स्थिति से हटकर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति उक्त सभी आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.1.16 एवं अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.3.14 एवं नायब तहसीलदार पिछोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.7.12 निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि पर मृतक चतुरा के हिस्सा 1/5 पर उसके स्थान पर आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये। सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर	